प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

दिनाँक - 26.05.2026

"थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा फर्जी पेट्रोल पम्प संचालित कर नकली डीजल एवं पेट्रोल की बिक्री करने वाले 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा, 01 अदद फर्जी/कूटरचित डीजल ऑयल विक्रय लाइसेंस, PRESTIGE COATING LIMITED से खरीदे गये केमिकल के 04 अदद बिल तथा लगभग 10 हजार लीटर तरल पदार्थ (सम्भाव्य डीजल,पेट्रोल/ केमिकल/ मिश्रण) बरामद किया गया ।"

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय, श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थानाध्यक्ष रोजा के कुशल नेतृत्व में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.05.2026 को वादी श्री संजय कुमार यादव, पूर्ति निरीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपनी टीम के साथ मिलकर ग्राम डींगरपुर के पास बने पेट्रोल पम्प से अनाधिकृत रुप से डीजल एवं पेट्रोल की बिक्री करने के कारण पेट्रोल पम्प की डिस्पेंसिंग यूनिट नोजल एवं दोनों भूमिगत टैंक को सील किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना रोजा पर मु0अ0सं0 237/26 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता को देखते हए पुलिस की दो टीमों का गठन किया गया तथा नामित अभियुक्तो से की गयी पूछताछ के क्रम में दिनांक 25.05.2026 को समय 23.50 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना रोजा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उदियापुर से नहर होते हुये ग्राम गुर्री के पास से अभियुक्तगण **1.** शिवराज वर्मा पुत्र पूरन लाल वर्मा नि0 ग्राम मुडिया जमा खान थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 55 वर्ष **2.** पवन उर्फ अमन पुत्र जीतराम नि0 ग्राम पीपरिया प्रह्लाद थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 32 वर्ष **3.** अशरफ अली खां पुत्र मोहम्मद नफीज निवासी ग्राम इब्राहिमपुर, करियारा, थाना मोहम्मदी जनपद खीरी उम्र करीब 37 वर्ष **4.** बबलू उर्फ रॉकी पुत्र रामपाल नि0 ग्राम पीपरिया प्रह्लाद थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 31 वर्ष **5.** रामवरन उर्फ वीरेश पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम मूढ़ा हारिस थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 35 वर्ष को मय 01 अदद पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा, 01 अदद फर्जी कूटरचित डीजल आयल बिक्री लाइसेंस, 01 अदद पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा PRESTIGE COATING LIMITED से खरीदे केमिकल के 04 अदद बिल व करीब 10 हजार लीटर तरल पदार्थ (सम्भाव्य डीजल,पेट्रोल/ केमिकल/ मिश्रण) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण : -

1. शिवराज वर्मा पुत्र पूरन लाल वर्मा उम्र करीब 55 वर्ष नि0 ग्राम मुडिया जमा खान थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
2. पवन उर्फ अमन पुत्र जीतराम उम्र करीब 32 वर्ष नि0 ग्राम पीपरिया प्रह्लाद थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर
3. अशरफ अली खां पुत्र मोहम्मद नफीज उम्र करीब 37 वर्ष नि0 ग्राम इब्राहिमपुर करियारा थाना मोहम्मदी, खीरी
4. बबलू उर्फ रॉकी पुत्र रामपाल उम्र करीब 31 वर्ष नि0 ग्राम पीपरिया प्रह्लाद थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर
5. रामवरन उर्फ वीरेश पुत्र मोतीलाल उम्र करीब 35 वर्ष नि0 ग्राम मूढ़ा हारिस थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त शिवराज वर्मा) -

1. मु0अ0स0 237/2026 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 3(5),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व धारा 23 पेट्रोल अधि0 1934 थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0स0 278/2025 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 थाना निगोही शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0स0 184/2018 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 थाना से0म0द0 शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण: -

1. 02 अदद पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा
2. 01 अदद फर्जी कूटरचित डीजल आयल बिक्री लाइसेंस,
3. PRESTIGE COATING LIMITED से खरीदे केमिकल के 04 अदद बिल
4. करीब 10 हजार लीटर तरल पदार्थ (सम्भाव्य डीजल,पेट्रोल/ केमिकल/ मिश्रण) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थानाध्यक्ष उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 शिवम अग्रवाल
3. उ0नि0 राकेश कुमार
4. का0 विपिन नैन
5. का0 नितिन दहिया
6. का0 अभिषेक
7. का0 सहदेव नागर

पूछताछ का विवरण :-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान एक स्वर में बताया कि शिवराज वर्मा एवं नफीस अहमद (अशरफ अली खां के पिता, मृत) द्वारा आपस में मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक फर्जी पेट्रोल पम्प संचालित किया जा रहा था, जिसकी जानकारी उन सभी को थी । अभियुक्त रामबरन द्वारा तेल की व्यवस्था की जाती थी तथा अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से पेट्रोल एवं डीजल में केमिकल मिश्रित कर उसकी बिक्री की जाती थी। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे लोग लगभग एक वर्ष से उक्त अवैध कार्य कर रहे थे तथा मिश्रित पेट्रोल/डीजल की बिक्री से उन्हें काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त होता था। प्राप्त धनराशि को रामबरन, शिवराज, अशरफ एवं राजाबाबू आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे तथा पवन एवं बबलू को भी उचित धनराशि दी जाती थी ।